"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जून 2015—ज्येष्ठ 29, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रकाश चन्द्राकर आत्मज श्री बिसन लाल चन्द्राकर, उम्र 36 वर्ष, निवासी-ग्राम व पोष्ट सिंघी तहसील व जिला महासमुंद (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मुझे प्रकाश चन्द्र भारद्वाज पिता श्री बिसन लाल चन्द्राकर के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाता था तथा वही नाम मेरे समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, बैंक, बीमा एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम प्रकाश चन्द्राकर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे प्रकाश चन्द्राकर पिता श्री बिसन लाल चन्द्राकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

प्रकाश चन्द्र भारद्वाज
पिता-श्री बिसन लाल चन्द्राकर
निवासी-ग्राम व पोष्ट सिंघी (खल्लारी)
तहसील व जिला महासमुन्द (छ. ग.)
पिन कोड- 493449

नया नाम

प्रकाश चन्द्राकर
पिता-श्री बिसन लाल चन्द्राकर
निवासी-ग्राम व पोष्ट सिंघी (खल्लारी)
तहसील व जिला महासमुन्द (छ. ग.)
पिन कोड- 493449

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कुन्ती साहू पति श्री हिरदे राम साहू, उम्र 50 वर्ष, निवासी-अम्बे निवास, प्लाट नं.-37 बी, अवधपुरी, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति के बी. एस. पी. के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश श्रीमती कुन्ती बाई साहू दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती कुन्ती साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे कुन्ती साहू पति श्री हिरदे राम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कुन्ती बाई साहू	कुन्ती साहू
(Kunti Bai Sahu)	(Kunti Sahu)
पति-श्री हिरदे राम साहू	पति-श्री हिरदे राम साहू
निवासी-अम्बे निवास, प्लाट नं. 37 बी,	निवासी-अम्बे निवास, प्लाट नं. 37 बी,
अवधपुरी, रिसाली, भिलाई	अवधपुरी, रिसाली, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

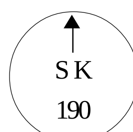
कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोंडागांव वनमंडल कोंडागांव जिला कोंडागांव (छत्तीसगढ़)

कोंडागांव, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/338.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परिक्षेत्र अधिकारी अमरावती के अंतर्गत बीट हेमर कु. आशा देवांगन, वनरक्षक परिसर रक्षक घोड़सोड़ा बीट हेतु प्रदाय किया गया था, जो गुम हो गया.

इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना माकड़ी तहसील माकड़ी जिला कोंडागांव में दर्ज की जा चुकी है. वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उक्त हेमर भंडार से अपलेखित किया जाता है. कु. आशा देवांगन, वनरक्षक परिसर रक्षक घोड़सोड़ा की लापरवाही से गुम होने के फलस्वरूप उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है एवं भविष्य के लिये सचेत किया जाता है.

यदि उपरोक्त हेमर किसी व्यक्ति को मिले तो वह अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें, तथा उक्त हेमर किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग करते हुये पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत नियमानुसार अभियोग चलाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागीदार होगा.



एस. जगदीशन,
वनमंडलाधिकारी.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बालोद (छ. ग.)

बालोद, दिनांक 1 जून 2015

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंबा./परि./2015/242.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2014/339/ बालोद दिनांक 08-08-2014 के तहत पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. भैसबोड़ पं. क्र. 2533 को छ. ग. सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत श्री पीताम्बर ठाकुर अंकेक्षण अधिकारी को उक्त संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं जॉन खलखो उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बालोद छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-15-1-सी दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएँ के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26-05-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

जॉन खलखो,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/670.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत इलेक्ट्रीकल डिपार्टमेंट को. आप. केन्टीन मर्या. भिलाई प्लांट भिलाई पं. क्रमांक 1989 दिनांक.......... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत इलेक्ट्रीकल डिपार्टमेंट को. आप. केन्टीन मर्या. भिलाई प्लांट भिलाई पं. क्रमांक 1989 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री डी. डी. विश्वास, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/671.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत इस्पात भवन को. आप. केन्टीन मर्या. बी. एस. पी. भिलाई पं. क्रमांक 2481 दिनांक........... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत इस्पात भवन को. आप. केन्टीन मर्या. बी. एस. पी. भिलाई पं. क्रमांक 2481 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री डी. डी. विश्वास, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/672.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत नवसाक्षर महिला अगरबत्ती उद्योग सह. समिति मर्या. रामपुर पं. क्रमांक 2556 दिनांक........... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत नवसाक्षर महिला अगरबत्ती उद्योग सह. समिति मर्या. रामपुर पं. क्रमांक 2556 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री डी. डी. विश्वास, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/673.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आदिवासी श्रमिक गौण खनिज उत्खनन सह. समिति मर्या. सोनपुर पं. क्रमांक 2335 दिनांक........... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदिवासी श्रमिक गौण खनिज उत्खनन सह. समिति मर्या. सोनपुर पं. क्रमांक 2335 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री जे. पी. गौतम, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/674.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत नूतन खदान सहकारी समिति मर्या. मेडेसरा पं. क्रमांक 2534 दिनांक.......... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत नूतन खदान सहकारी समिति मर्या. मेडेसरा पं. क्रमांक 2534 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री जे. पी. गौतम, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/675.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जय अम्बे मजदूर खदान सहकारी समिति मर्या. राजपुर पं. क्रमांक 2657 दिनांक.......... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत जय अम्बे मजदूर खदान सहकारी समिति मर्या. राजपुर पं. क्रमांक 2657 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री जे. पी. गौतम, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/676.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आजाद हिन्द नगर प्राथ. उप भंडार मर्या. खुर्सीपार पं. क्रमांक 2720 दिनांक.......... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आजाद हिन्द नगर प्राथ. उप भंडार मर्या. खुर्सीपार पं. क्रमांक 2720 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री जे. पी. गौतम, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/677.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत नव साक्षर महिला मसाला उद्योग सहकारी समिति मर्या. नेहरू नगर पं. क्रमांक 2551 दिनांक.......... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत नव साक्षर महिला मसाला उद्योग सहकारी समिति मर्या. नेहरू नगर पं. क्रमांक 2551 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री डी. डी. विश्वास, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/678.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जलगृह कर्मचारी जलपान सह. समिति मर्या. मरोदा पं. क्रमांक 2357 दिनांक.......... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत जलगृह कर्मचारी जलपान सह. समिति मर्या. मरोदा पं. क्रमांक 2357 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री डी. डी. विश्वास, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/679.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत अन्नपूर्णा संयुक्त कृषि सह. समिति मर्या. मतवारी पं. क्रमांक 28 दिनांक.......... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत अन्नपूर्णा संयुक्त कृषि सह. समिति मर्या. मतवारी पं. क्रमांक 28 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री डी. डी. विश्वास, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/680.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत एस. सी./ एस. टी. लेबर कान्ट्रेक्टर को. आ. सह. समिति मर्या. केम्प-1 भिलाई पं. क्रमांक 2756 दिनांक.......... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत एस. सी./ एस. टी. लेबर कान्ट्रेक्टर को. आ. सह. समिति मर्या. केम्प-1 भिलाई पं. क्रमांक 2756 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री डी. डी. विश्वास, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/681.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत महिला श्रमिक रेत खदान सह. समिति मर्या. जमरांव पं. क्रमांक 2608 दिनांक.......... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत महिला श्रमिक रेत खदान सह. समिति मर्या. जमरांव पं. क्रमांक 2608 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री डी. डी. विश्वास, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/682.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जय अम्बे खनिज कामगार सह. समिति मर्या. खपरी पं. क्रमांक 2613 दिनांक.......... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत जय अम्बे खनिज कामगार सह. समिति मर्या. खपरी पं. क्रमांक 2613 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री डी. डी. विश्वास, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/683.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत पत्थर खदान श्रमिक सह. समिति मर्या. राजपुर पं. क्रमांक 2602 दिनांक.......... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत पत्थर खदान श्रमिक सह. समिति मर्या. राजपुर पं. क्रमांक 2602 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री डी. डी. विश्वास, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/684.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जनकल्याण प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. सुपेला भिलाई पं. क्रमांक 2410 दिनांक 06-09-1991 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत जनकल्याण प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. सुपेला भिलाई पं. क्रमांक 2410 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एस. एम. महापात्र, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/685.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत गजानंद प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. केम्प 01 भिलाई पं. क्रमांक 2934 दिनांक 13-11-2009 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत गजानंद प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. केम्प 01 भिलाई पं. क्रमांक 2934 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री आर. के. महिलांगे, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/686.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत नवसाक्षर महिला वाशिंग पाउडर सह. समिति मर्या. जरवाय पं. क्रमांक 2558 दिनांक.......... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत नवसाक्षर महिला वाशिंग पाउडर सह. समिति मर्या. जरवाय पं. क्रमांक 2558 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री आर. के. महिलांगे, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/687.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत संगम प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. छावनी भिलाई पं. क्रमांक 2822 दिनांक 05-10-2005 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत संगम प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. छावनी भिलाई पं. क्रमांक 2822 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री आर. के. महिलांगे, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/688.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्रतीक प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. छावनी भिलाई पं. क्रमांक 2630 दिनांक 26-06-1996 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रतीक प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. छावनी भिलाई पं. क्रमांक 2630 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री आर. के. महिलांगे, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/689.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत मां मथुरावासी महिला प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. भिलाई पं. क्रमांक 2581 दिनांक 23-06-1995 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत मां मथुरावासी महिला प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. भिलाई पं. क्रमांक 2581 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री आर. के. महिलांगे, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/690.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कौशल प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. लक्ष्मी नगर भिलाई पं. क्रमांक 2817 दिनांक 22-09-2005 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत कौशल प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. लक्ष्मी नगर भिलाई पं. क्रमांक 2817 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एस. एम. महापात्र, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/691.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत मगध प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. कांट्रेक्टर कालोनी भिलाई पं. क्रमांक 2820 दिनांक.............को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत मगध प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. कांट्रेक्टर कालोनी भिलाई पं. क्रमांक 2820 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एस. एम. महापात्र, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/692.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत त्रिवेणी प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. ननकट्ठी पं. क्रमांक 2702 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत त्रिवेणी प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. ननकट्ठी पं. क्रमांक 2702 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्रीमती शोभा गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/693.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत मां लक्ष्मी प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. खुर्सीपार भिलाई पं. क्रमांक 2891 दिनांक 02-08-2008 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत मां लक्ष्मी प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. खुर्सीपार भिलाई पं. क्रमांक 2891 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्रीमती शोभा गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/694.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत मां भगवती प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. दुर्ग पं. क्रमांक 2783 दिनांक.............को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत मां भगवती प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. दुर्ग पं. क्रमांक 2783 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्रीमती शोभा गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/695.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत श्री गणेश प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. सुपेला भिलाई पं. क्रमांक 2851 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत श्री गणेश प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. सुपेला भिलाई पं. क्रमांक 2851 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री ए. मुखर्जी, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/696.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्रगतिशील महिला प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. गुरु घासीदास नगर भिलाई पं. क्रमांक 2794 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रगतिशील महिला प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. गुरु घासीदास नगर भिलाई पं. क्रमांक 2794 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री ए. मुखर्जी, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/697.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जन जागरण प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. वार्ड 4 भिलाई पं. क्रमांक 2970 दिनांक.............को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत जन जागरण प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. वार्ड 4 भिलाई पं. क्रमांक 2970 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री ए. मुखर्जी, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/698.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. खुर्सीपार भिलाई पं. क्रमांक 2935 दिनांक 12-11-2009 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. खुर्सीपार भिलाई पं. क्रमांक 2935 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री ए. मुखर्जी, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/699.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत गुरु घासीदास प्राथ.सह. उप. भंडार मर्या. अहिवारा पं. क्रमांक 2833 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत गुरु घासीदास प्राथ.सह. उप. भंडार मर्या. अहिवारा पं. क्रमांक 2833 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री आर. एस. तराने, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/700.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत मुस्कान प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. भिलाई पं. क्रमांक 2860 दिनांक 24-12-2007 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत मुस्कान प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. भिलाई पं. क्रमांक 2860 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री आर. एस. तराने स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

किरण गुप्ता,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.